

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

6641. श्री गंगाधर सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बातों को हना करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण औद्योगिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ जिले चुने गये हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के 13 जिले सम्मिलित हैं और इन तरह जिलों में केवल तीन पिछड़े जिले हैं जबकि राज्य में पिछड़े जिलों की संख्या 39 है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिले किन-किन राज्यों से चुने गये हैं.

(ग) उनके चयन के लिये क्या मापदंड अपनाया गया, और

(घ) उत्तर प्रदेश के सभी 39 पिछड़े जिलों को सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आशा भट्ठी) : (क) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित योजना देश के 112 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिले भी शामिल हैं। इन 13 जिलों में से 11 पिछड़े जिले हैं।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी 22 राज्यों को ले लिया गया है।

(ग) और (घ). ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के अधीन 1962-63 में चुनाव करने के लिये निर्मलखित कसौटी अपनाई गई थी :—

(1) जहाँ कृषि सम्बन्धी स्थिति अनुकूल है और उल्लेखनीय कृषि परक प्रयास किये जा रहे हैं और इसके साथ ही जहाँ जनसंख्या का भारी दबाव है।

(2) जहाँ पर कृषि प्रमुख रूप से बिना सिंचाई की स्थितियों में की जाती है

और जहाँ पर अतिरिक्त रोजगार की पर्याप्त आवश्यकता है।

(3) जहाँ अनुकूल प्राकृतिक स्थितियों और विभव संसाधनों के विकास के अभाव में बहुत अधिक बेकारी है।

(4) जनजातीय और अन्य पिछड़े क्षेत्र।

(5) वे क्षेत्र जिनमें बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं अथवा स्थापित की जा रही हैं ताकि समन्वित औद्योगिक ग्रामीण विकास किया जा सके तथा जिनमें औद्योगिक परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि और छोटे उद्योगों को साथ-साथ विकसित किया जा रहा है; और

(6) ग्रामीण विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के निकटवर्ती क्षेत्र।

पांचवी पंचवर्षीय योजनाअधि में, ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए यह निश्चय किया गया था कि विभिन्न राज्यों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में से जिलों का चयन किया जाना चाहिए।

शुरू में ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के लिये केवल 45 परियोजनाएं हाथ में ली गई थी और इन्हें विभिन्न राज्यों को प्राबंठित कर दिया गया था। चार और परियोजनाएं और बढ़ाई गई थी जिन्हें भिलाई, रांची, दुर्गापुर आदि औद्योगिक बस्तियों के इर्द-गिर्द स्थापित किया जाना था। पांच और परियोजनाएं हाथ में ली गई थी एक नवनिर्मित हरियाणा राज्य के लिए थी और चार अन्य आसपास की अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं थीं। 1970 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए 50 और परियोजनाएं हाथ में लेने का निर्णय किया गया था जिनका देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों से चयन किया जाना था। किन्तु पांचवीं योजनाअधि में परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर

57 कर ही गई थी और देश की कुल परि-
वीजनाधी की संख्या 112 हो गई थी।

Promotion of Senior Assistance

6642 SHRI VINAYAK PRASAD YADAV Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) whether it is a fact that senior Assistants who fulfil certain conditions are allowed one additional increment on the basis of their Confidential Reports,

(b) whether it is also a fact that Assistants are allowed to cross Efficiency Bar and are also promoted to officiate as Section Officers on the basis of 'Good Reports but they are not eligible for the additional increment on Good Reports and

(c) if so whether Government will allow additional increment on the basis of 'Good' reports if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S D PATIL) (a) No Sir

(b) Crossing of the Efficiency Bar is allowed by the Competent authority on an overall assessment of the Reports. Promotion to Section Officers Grade are made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit

(c) Does not arise in view of (a) above

Applications for licence for manufacture of air-break equipment by Westinghouse Saxby Farmer Ltd

6643 SHRI SOMNATH CHATTERJEE Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether the management of Westinghouse Saxby Farmer Ltd, a public sector undertaking applied for licence for manufacture of air-break equipment for railway rolling stock,

(b) if so, whether Government have imposed pre-condition of export obligations;

(c) whether the company has represented for issue of a formal licence without any pre-condition, and

(d) if so, decision taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) (a) to (c) Yes Sir

(d) The matter is under further consideration and a decision is expected to be taken shortly

Compulsory retirement of Employees

6644 SHRI A BALA PAJANOR Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) the number of Central Government officers compulsorily retired during the last 10 months as a penalty, and the reasons therefor,

(b) the number of officers who were given 3 months notice of retirement under the Rules and prematurely retired and

(c) whether Government give an opportunity to officers before giving notice of premature retirement regarding the grounds on which they have been marked out for such retirement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S D PATIL) (a) and (b) The information is not readily available. It will be collected and placed on the Table of the House as soon as possible

(c) Un-like compulsory retirement premature retirement is not a penalty and is only an administrative action. As such the question of giving opportunity of defence to an employee who is to be prematurely retired does not arise

देश में भारी उद्योग

6645. श्री छबिराम वर्मा - क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में भारी उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा वे कहा-कहाँ